[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 04/2026- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 26 अक्तूबर, 2026
4 कार्तिक, 1948 शक

सा.का.नि.....(अ).- सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को या निर्यात के लिए माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय;

(ii) निर्यात के लिए माल या सेवा या दोनों की प्रदाय;

(iii) किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त माल या सेवा या दोनों की ऐसी प्रदाय, जिस पर कर का संदाय ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाना है; या

(iv) सेवाओं का आयात,

के संबंध में,"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

(कृति पाण्डेय)
अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, सा.का.नि. 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे

और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 10/2023-केंद्रीय कर, तारीख 10 मई, 2023, सा.का.नि. 355(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2025 द्वारा किया गया था।